-131-

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा ।

सेवा मे

हरियाणा राज्य में सभी,
जिलाधीश (लाईसैसिग अर्थोर्टी)
पत्र कमांक-2बी.के.-7/7/2010/32595
दिनांक चण्डीगढ़ 21.12.2010

विषय:- अर्बनाईजवल जोन में स्थित भट्ठों के बारे ।

....

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र कमांक-2बी.के.5/14-08/ 29652-54 दिनांक 17.12.2008 तथा पत्र कमांक-2बी.के.5/14-08/11681-83 दिनांक 28.05.2009 के संदर्भ मे ।

संदर्भाधीन पत्रों द्वारा अर्बनाइजेबल जोन तथा इससे बाहर 2 व 1 किलोमीटर (स्थिति अनुसार) मे स्थित भटठों कों सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार बंद करने के निर्देश दिए गए थे । भटठा ओनर एसोसिएशन द्वारा दिए गए मांगों के प्रतिवेदन पर सरकार ने पुनः विचार करते हुए दिनांक 29.11.2010 द्वारा निम्न आदेश दिए हैं:-

1. अर्बनाईजेबल जोन में स्थित ईट भट्ठे सरकार द्वारा उस सैक्टर की जमीन अधिग्रहण करने हेतू जारी किये गये सैक्शन 4 की अधिसूचना या कोलोनाईजर द्वारा सी.एल.यू. तथा लाईसैस लेने की तिथि से 6 महीने उपरांत भट्ठे नहीं चल सकेगें।
2. जिस क्षेत्र का Draft Development Plan प्रकाशित/अनुमोदित (जिला नियोजन समिति/राज्य स्तरीय समिति/राज्य सरकार द्वारा) नहीं हुआ है उस क्षेत्र के लिये द हरियाणा कन्ट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाईज आर्डर, 1972 की धारा 4(iii) लागू रहेगी।
3. नगर पालिका सीमा के अन्दर जो भट्ठे आ गये हैं वो भी इस बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट जारी होने की तिथि से 6 महीने के बाद नहीं चल सकेगें।
4. नगर पालिका सीमा की वृद्धि का अगर Draft Development Plan प्रकाशित हो चुका है तो बढ़ी हुई सीमा में भी ईट भट्ठे सैक्शन 4 की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना के नोटिस जारी होने की तिथि से 6 महीने उपरांत नहीं चल सकेगें।
5. जो भट्ठे अर्बनाईजेबल जोन में स्थित है, वह उस क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई नहीं कर सकेगें तथा ईट बनाने के लिये मिट्टी बाहर से लेकर आयेगें।
6. जो भट्ठे अर्बनाईजेबल जोन की परिधि से एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर स्थित है, वह भट्ठे तब तक मिट्टी की खुदाई कर सकेगें जब तक अर्बनाईजेबल जोन के लगते हुए क्षेत्र में सैक्शन 4 की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती अर्थात् ऐसे भट्ठे बाहर से मिट्टी लाकर अपने भट्ठे चला सकेगें।
7. अर्बनाईजेबल जोन तथा ए-श्रेणी के शहर के अर्बनाईजेबल जोन के दो किलोमीटर तथा अन्य कस्बों व शहरों के अर्बनाईजेबल जोन के एक किलोमीटर की परिधि में नये ईट भट्ठे का कोई लाईसैस जारी नहीं किया जायेगा।

अतः अर्बनाइजेबल जोन मे स्थित भटठों के मामले मे दिनांक 21.7.2006 तथा 7.10.2008 की बैठक मे सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आप द्वारा जो कार्यवाही की गई है या की जा रही है के बारे आपको निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे मामलों को तुरन्त रिव्यू/स्थगित करते हुए सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त आदेशों अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

अतिरिक्त निदेशक
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग ।

Contd.. 2.

पृष्ठांकन कमांक 2बी.के.-7/7/2010/22596 दिनांक 21.12.2010

उपरोक्त की एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग हरियाणा, को इस विभाग के पत्र कमांक-2बी.के.5/14-08/19473-75 दिनांक 12/15.12.2008 तथा पत्र कमांक-2बी.के.5/14-08/11677-80 दिनांक 28.05.2009 के संदर्भ मे भेजी जाती है तथा यह भी अनुरोध किया जाता है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों दिनांक 29.11.2010 को ध्यान मे रखते हुए अपने एक्ट/कंट्रोल आर्डर मे भी आवश्यक संशोधन करलें । इस बारे यह भी अुनरोध है कि जिला नगर एवं योजनाकारों को निर्देश दें कि मामले मे सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रभावित भटठों की संशोधित सूचि जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रकों को जिलेवार उपलब्ध करवाएं ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

अतिरिक्त निदेशक
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग ।

पृष्ठांकन कमांक 2बी.के.-7/7/2010/22597 दिनांक 21.12.2010

हरियाणा राज्य में सभी जिला खादय पूर्ति नियन्त्रको को उपरोक्त की एक-एक प्रति विभाग के पत्र कमांक-2बी.के.5/14-08/29652-54 दिनांक 17.12.2008 तथा पत्र कमांक-2बी.के. 5/14-08/11681-83 दिनांक 28.05.2009 के संदर्भ मे इन निर्देशो के साथ भेजी जाती है कि विषयाधीन मामले में सरकार के दिनांक 29.11.2010 के नवीनतम निर्णय अनुसार कार्यावाही करना सुनिश्चित करें ।

अतिरिक्त निदेशक
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग ।

पृष्ठांकन कमांक 2बी.के.-7/7/2010/22598 दिनांक 21.12.2010

उपरोक्त की एक प्रति श्री गुलशन नारंग, प्रधान भटठा एसोसिशन हरियाणा, मकान नं0 1070/19, ग्रीन रोड, शक्ति नगर, रोहतक को सूचनार्थ भेंजी जाती है ।

अतिरिक्त निदेशक
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग ।